

न्यायालय जिला कलेक्टर एवं प्रथम अपील अधिकारी , टोंक

प्रकरण संख्या

29 / 2019

कमलेश चावड़ा पुत्र श्री कन्हैया लाल चावड़ा निवासी मेहंदवास गेट संघपुरा पुरानी
टोंक जिला टोंक राज0

—अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक, जिला टोक

—प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांक 3-10-2019

अपील अपीलान्ट संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक को दिनांक 10-7-2019 को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही गई थी।

1 अपीलार्थी द्वारा 22 अप्रैल 2019 को खसरा संख्या 6259, 6258, 6260, 6256 की जमाबंदी निकलवाने हेतु आवेदन किया था।

2 ये खसरा संख्यायों वर्तमान खसरा संख्याए है।

3 अपीलार्थी को इन खसरा संख्या की जमाबंदी सन् 1970 से पूर्व की चाहिए अतः अपीलार्थी को जमाबंदी देने की कृपा करे।

अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं होने पर अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई तथा अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलार्थी उपस्थित हैं। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक से अपील के संबंध में जवाब तलब किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक ने उनके पत्र क्रमांक 8471/ भूअ/. Rti/2019 दिनांक 1-10-2019 से अवगत करवाया है कि आवेदक द्वारा चाही जा रही सूचना के सम्बन्ध में आवेदक को पत्र क्रमांक 8275 भूअ.Rti/2019 दिनांक 25-9-2019 द्वारा रजिस्टर्ड डाक से सूचित किया गया है कि वह कार्यालय समय में उपस्थित होकर चाही गई सूचना/रिकार्ड का अवलोकन कर सूचना प्राप्त करें। अपीलार्थी को ढाई माह के पश्चात सूचना प्राप्त करने हेतु सूचित किया गया है जो उचित नहीं हैं। जबकि उक्त अधिनियम के तहत आवेदक को सूचना के सम्बन्ध में एक माह अर्थात् 10-8-2019 से पूर्व सूचित करना चाहिये था, अपीलान्ट अब

ला कलेक्टर
टोंक

निःशुल्क सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है। आवेदक को जरिए रजि० पत्र द्वारा सूचित किया जा चुका है। अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(के०के०शर्मा)

जिला कलेक्टर एवं
प्रथम अपील अधिकारी टोंक
जिला कलेक्टर 3/1/19
टोंक

